SHAHEED MANGAL PANDEY GOVERNMENT GIRLS POST GRADUATE COLLEGE

MADHAVPURAM MEERUT UTTAR PRADESH

Recognized by UGC, Under Section 2 (f) & 12 (b)
Accredited by NAAC- grade B+ - III Cycle
ISO 9001:2015 Certified

PROSPECTUS

2025-26

For Admission in UG/PG/Ph.D. Courses

महाविद्यालय संक्षिप्त परिचय

अपूर्णताओं से भरे संसार में पूर्णता का पर्याय मानसिक दक्षता है और इस दक्षता का सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा से असाधारण उत्कृष्टता, सभ्यता तथा उन्नति के शिखर प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे ही मानवीय विचारों को स्वयं में संजोये यह महाविद्यालय मेरठ में दिल्ली रोड पर माधवपुरम् आवास-विकास योजना के सैक्टर-2 में स्थित है। राजकीय महाविद्यालयों की अनुशासित एवं समृद्ध परम्पराओं की श्रृंखला में इस महाविद्यालय की स्थापना 10 सितम्बर 1999 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पौराणिक, ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी मेरठ में, तत्कालीन शहर विधायक डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी की विधायक निधि से तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा की गयी। यह महाविद्यालय बालिकाओं की उच्च शिक्षा के स्वप्नों को साकार करने के लिए कृत संकल्प है। महाविद्यालय अपनी बाल्यावस्था से ही समस्त अवरोधों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मात्र 05 छात्राओं से प्रारम्भ हुए महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में छात्राओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में 15 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएँ संचालित हैं, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध हैं। सत्र 2006-07 से महाविद्यालय को बी0 एड0 की भी सम्बद्धता प्राप्त हो गई।

सत्र 2010-11 में प्रथम बार राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् (नैक) के द्वारा महाविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान कार्यो एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया जिसमें महाविद्यालय को 2.56 सी. जी. पी. ए. के साथ बी+ ग्रेड प्रदान किया गया था। अत्यन्त गौरव का विषय है कि सत्र 2023-24 में नैक द्वारा महाविद्यालय का पुनर्मूल्यांकन किया गया व महाविद्यालय को 2.61 सी. जी. पी. ए., के साथ बी+ ग्रेड प्रदान किया गया है। साथ ही महाविद्यालय के विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के द्वारा समय-समय पर अनुदान दिया जाता है। महाविद्यालय में कला संकाय, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं सहित अपने-अपने भवन हैं। प्रत्येक विभाग कम्प्यूटर व इण्टरनेट सहित अत्याधुनिक सामग्री से सुसज्जित है। महाविद्यालय में लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास रूम आदि सुविधाएँ छात्राओं के विकास हेतु उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय छात्राओं में नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा उनकी क्षमताओं के अनुरूप उचित मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें सदैव अग्रसर रखने हेतु प्रयासरत् है। महाविद्यालय का वातावरण सुन्दर, अनुशासित एवं शिक्षा प्राप्ति हेतु उत्तम है। हमारा प्रयास अनुशासन, आत्मबल, सद्विचार, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों द्वारा छात्राओं का सर्वांगीण विकास कर राष्ट्रनिर्माण में सकारात्मक सहभागिता बढ़ाना है। वर्तमान समय में राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान प्रदान करने में उच्च शिक्षा की प्रमुख भूमिका है। नवीन भूण्डलीय परिस्थितियों में वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का प्रसार पूर्व की अपेक्षा अधिक प्रासांगिक है। जाति, धर्म, सम्प्रदायों की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर छात्राओं में सद्भाव, मैत्री एवं स्नेह स्थापित कर स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना इस महाविद्यालय का उद्देश्य है। निर्धन और मेधावी छात्राओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गो की छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने में माँ शारदे का यह विद्या मंदिर सतत् प्रयासरत है।

वस्तुतः महाविद्यालय का मुख्य लक्ष्य आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में नवीन तकनीकी शिक्षा द्वारा छात्राओं को उच्च गुणवत्तायुक्त व्यवसायोन्मुखी शिक्षा, समाज के हितार्थ नैतिक तथा राष्ट्रनिर्माण हेतु सद्भाव और सामंजस्यपरक शिक्षा प्रदान करता है। निरन्तर गतिमान रहने की प्रेरणा संजोए महाविद्यालय का सूत्र वाक्य "चरैवेति-चरैवेति" है जो निरन्तर गतिमान रहने की प्रेरणा देता है तथा विकास के नये आयाम विकसित करता है।

VISION

That which Liberates is Knowledge

With the strong belief in our Indian philosophy and knowledge; we see education as a great tool to develop citizens with self-reliance, high ideals, noble thoughts and duty consciousness.

Our vision is to develop women leaders who are well equipped and fully empowered to nurture themselves and their family to live a happy and meaningful life. We believe that education brings wisdom which uplifts our soul to achieve ultimate goals by removing all the obstacles that arise from ignorance, incapability and other societal taboos. Our aim is to nurture the eternal quest for truth and inquiry, creativity and love for knowledge.

MISSION

Educate. Equip. Enable

1. To educate the students through best teaching and learning practices in education and co-curricular. To inculcate leadership qualities, social concern, patriotism, co-operation, values, creativity and innovativeness in them.
2. To equip the students to face the challenges of the modern world, from professional, cultural and moral perspectives by developing life skills and excellence in education.
3. To enable and empower the students to become self-reliant, Innovative, well employed and entrepreneurs. To work to promote sustainable growth, transformational changes and competency with global challenges.

Principal's Message

Dear students,

Welcome! to the Land of Wisdom, Thoughts and Ideas......

The college "Shaheed Mangal Pandey Govt Girls PG College" is situated at "karati-dhara", Meerut and is contributing it's best to provide not only education but wisdom, skills and lifelong values to our students. We follow our Vision "सा विद्या या विमुक्तये" to Empower the most important pillar of our society; our Girls. We follow the principle that "if we educate a girl, we educate the whole family", and we feel proud of it.

Our college is one of the foremost Government Colleges in Western Uttar Pradesh providing excellent education with best facilities. It is well represented by our University Rank Holders, National Level Players, Well Employed Students and other Educational Achievements. Our teachers are self-motivated to work harder and smarter for the growth of our institution and of our society and for the Holistic Development of our students. We are committed to provide a Friendly, Safe yet Well-Disciplined, Creative and Cultured Environment to our students.

As we all know that this is the time of hardship when we are facing two big challenges- Recovering Covid 19 pandemic and Implementation of NEP 2020, being Principal of this college I can assure you that our college is well capable to convert Challenges into Opportunities. College is dedicated to use latest Teaching and Learning methodology making our students advanced, updated and competing. Skill education and co-curricular activities with community sensitization is always our focus area.

Again, I extend my best wishes to all the students and assure them a Happy and Exciting stay in our college. I wish them a Successful and Meaningful Life.

Prof. (Dr.) Anju Singh
M.Sc., Ph.D. Chemistry

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में स्नातक स्तर पर प्रवेश, पाठ्यक्रम एवं विषय चयन सम्बन्धी दिशा निर्देश

महाविद्यालय में उपलब्ध संकाय (Faculties Available in College)

1. कला संकाय (सामाजिक विज्ञान, भाषा एवं ललित कला)
2. विज्ञान संकाय
3. वाणिज्य संकाय
4. बी. एड.

महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों की सूची
(List of Subjects available in college)

कला संकाय (Faculty of Arts - Social Sciences, Language and Performing arts)

1. Home Science
2. Physical Education and Sports
3. Sociology
4. Economics
5. History
6. Pol Science
7. Hindi
8. English
9. Music (Vocal)
10. Drawing and Painitng

विज्ञान संकाय (Faculty of Science)

1. Physics
2. Chemistry
3. Maths
4. Zoology
5. Botany

वाणिज्य संकाय (Commerce Faculty)

1. All Major Subjects of Commerce faculty

बी. एड.

All Subjects of B.Ed. faculty

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

1. **<u>पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-</u>** एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातकः (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिङ), पांच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा- बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०एड०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम, पीएच०डी० इत्यादि होगी ।
2. **<u>संकाय (Faculty)-</u>** संकाय विषयों का समूह है यथा- कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि । छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी। (उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से विश्वविद्यालय द्वारा शासनादेश जारी किया जायेगा)। कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकंता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी।
3. **<u>विषय (Subject)</u>** - यथा संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि। एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।
4. **<u>कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-</u>** एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा। थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

विषय चयन

विषय समूहो सम्बंधित महत्वपूर्ण नियम

1. निम्नलिखित विषय समूहो में से एक समूह से केवल एक ही विषय चयनित किया जा सकेगा। एक विषय समूह मे अंकित समस्त विषयों की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होगी।
   - I. **History/Music,**
   - II. **Political Science/ Music,**
   - III. **Music/Economics,**
   - IV. **Home Science/ Physical Education**

माइनर विषय के चयन सम्बंधित नियम

1. छात्र अपने अथवा अन्य संकाय के उपलब्ध विषयों से माइनर विषय का चयन कर सकेंगे।
2. माईनर विषय का अध्ययन छात्रों द्वारा केवल विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के साथ किया जायेगा।
3. चूंकि उपर्युक्त व्यवस्था में माइनर विषय को छः (06) क्रेडिट आवंटित किये गये है इसलिए छात्र माइनर विषय के रूप में अपने दो मेजर विषयों को छोडकर महाविद्यालय में संचालित अन्य किसी मेजर विषय का अध्ययन माइनर विषय के रूप में कर सकेंगे। अर्थात अलग से माइनर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसका पठन-पाठन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण स्वरूपः एक ऐसा छात्र जो गणित एवं भौतिक विज्ञान विषयों का चयन मेजर विषय के रूप में करता है वह अन्य छात्रों हेतु उसी सेमेस्टर में चलाये जा रहे रसायन विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र का अध्ययन माइनर विषय मे रूप में कर पायेगा।
4. चूंकि इस प्रकार चयनित किया गया माइनर विषय किसी अन्य छात्र का मेजर विषय होगा इसलिए माइनर एवं मेजर विषय का प्रश्नपत्र एक ही होगा। यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो वह भी माइनर विषय के रूप में अध्ययन करने वाले छात्र को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. छात्र को दोनो वर्षों में एक ही विषय का माइनर पेपर लेना अनिवार्य होगा। अर्थात माइनर विषय परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
6. विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
7. विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर विषय परिवर्तन की सुविधा होगी परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकती है सेमेस्टर के बाद नहीं।
8. तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं

है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

9. विश्वविद्यालय माइनर पेपर / स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राषा आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध फोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्का कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

10. यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्याइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

11. एन०सी०सी० को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

स्किल डेवलपमेंट कोर्स के चयन सम्बंधित नियम

1. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses) - स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3 X 3-9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

2. उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रायधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

3. यदि विद्यार्थी यू०जी०सी०/PMKVY 4.0/ छेन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है. तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 प्रक्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ /अलग-अलग) को कम अथया अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses) सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश -

1. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।
    - प्रथम सेमेस्टर में **प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health)**
    - द्वितीय सेमेस्टर में **मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies)**
    - तृतीय सेमेस्टर में **शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)**
    - चतुर्थ सेमेस्टर में एक **भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू०जी०सी० द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)"**
2. भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का आध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय / स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।
3. इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

शोध परियोजना (Research Project) सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश -

1. स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम रोगेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण सभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।
4. स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।
5. स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंथम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।
6. पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध राहित) उपाधि

प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी०एच०डी० की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7. शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।
8. यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी / मल्टीविस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।
9. विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
10. स्नातक (मानद शोध सहित) / स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट / शोध-प्रबना (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में जमा करेगा।
11. पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा करेगा।
12. बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार / संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।
13. स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश -

1. सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन०ई०पी०-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।
2. मुख्य व माईनर विषयों के थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को-करीकुलर तथा शेष परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन **(CIE)** आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा **100** अंको के आधार पर होगी।
3. वोकेशनल / स्किल कोर्सेज का मूल्योंकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1963/सत्तर-3-2021, दिनोंक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या-2058/पात्तर-3-2021-08(33)/2020 टी०सी०, दिनांक 26.08:2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), Fair, शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।
5. विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना (Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. यू०जी०सी० द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है ।
2. यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।
3. चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा ।
4. बी एड में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा एन०सी०टी०ई० के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम आने पर किया जायेगा।
5. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिङ) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।
6. विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए. बी.एस.सी. बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उत्स पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी।
7. पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष / वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।
8. चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।
9. तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश से सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अई है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष

की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

10. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

प्रवेश में सीटों के आरक्षण/आवंटन/भारांक से सम्बंधित नियमावली

1. प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से **21** प्रतिशत, **02** प्रतिशत और **27** प्रतिशत स्थान महाविद्यालयो / संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से **40** प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन / कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल **5** प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित **2** प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को **1** प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा।
2. यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर **20** प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। **10** प्रतिशत आरक्षण ई०डब्ल्यू०एस० के लिए लागू होगा।
3. प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को **www.ccsuniversity.ac.in** पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी।
4. शैक्षिणिक सत्र **2025-26** में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी केन्द्रीयकृत वरीयता सूची तैयार नहीं की जाऐगी। अतः शैक्षिणिक सत्र **2025-26** में विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बन्ध महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता सूचियाँ (**Merits**) एवं प्रतीक्षा सूचियाँ सम्बंधित परिसर विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा ही तैयार की जाएंगी।
5. आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से अन्तिम मैरिट (जो पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।
6. यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड / संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाणपत्र एवं आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।
7. अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम **25** प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर

प्रदेश के किसी महाविद्यालय / संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

8. प्रवेश सत्र **2025-26** में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरूष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

9. किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (**Weightage**) दिए जायेंगेः-

- **a.** मेरिट प्रतिशत में **4** अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।
- **b.** मेरिट प्रतिशत में **4** अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय / सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।
- **c.** मेरिट प्रतिशत में **2** अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्तानक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।
- **d.** मेरिट प्रतिशत में **3** अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने **NCC** का **"C"** या **"G-II"** सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
- **e.** अथवा मेरिट प्रतिशत में **2** अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने **NCC** का **"B"** या **"G-I"** सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
- **f.** अथवा मेरिट प्रतिशत में **3** अंकों का अधिभार, ऐस 'अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (**N.S.S.**) के अन्तर्गत **240** घण्टों की सेवा की हो तथा **7/10** दिनों के **2** शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में **2** अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ **240** घण्टों की सेवा तथा **7/10** दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में **1** अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने **240** घण्टों की सेवा की हो या **120** घण्टों की सेवा तथा ऐसा **1** शिविर किया हो।
- **g.** अथवा स्काउटिंग में तथा रेंजर / रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा- (**i**) मेरिट प्रतिशत में **4** अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।
- **h.** अथवा(**ii**) मेरिट प्रतिशत में **3** अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने / निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।अथवा

11. मेरिट प्रतिशत में **2** अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान / गुरूपद / प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर। अथवा (**iv**) मेरिट प्रतिशत में **1** अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान / ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी०ओ० न० एफ**0.14-3/85** (सी०पी०), दिनांकः **24.04.1985** के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर **5** प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/ डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (**A.I.U.**) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (**L.O.A.**) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय / प्रदेशीय / अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा **SAI (Sports Authority of India)** द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

12. नोट- (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम **8** अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम **12** अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

13. किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

14. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय / संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

15. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।

16. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (**Horizontal**) आधार पर **20** प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

17. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय **IV** के प्रस्तर-**4** के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।

18. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारानिर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

प्रवेश हेतु मुख्य नियम

1. महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक): 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं।
2. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक / स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट / स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।
3. किसी भी अभ्यर्थी को बी०ए० में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
4. **Note: In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.**
5. जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सम्बंधित बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयों के प्राप्तांक (जिनसे अभ्यर्थी की इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत अथवा श्रेणी / ग्रेड का निर्धारण किया गया है) जोडे जायेगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती है, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू०पी० बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ०प्र० बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।
6. स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में स्नातकोत्तर में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर स्नातकोत्तर प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय

में स्नातकोत्तर करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

8. ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

9. योग्य / पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य / पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

10. मान्यता प्राप्त बोर्ड / (एन०आई०ओ०एस० व ए०आई०यू० पर उपलब्ध) / (यू०जी०सी० व ए०आई०यू० की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

11. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

12. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

13. किसी भी महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय / संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

14. किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति / प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

15. अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी: **"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."**

16.यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय / संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय / संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

17.ऐसे छात्र/छात्राए जो अपने प्रथम सेमेस्टर/वर्ष का परीक्षा फार्म भरकर महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर के विभाग से सत्यापित नही कराते है तो उनके उस पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश निरस्त माने जायेगे।

18.शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

19.छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

20.अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू०जी०सी०/ आई०जी०एन०ओ०यू० तथा एन०आई०ओ० एस० की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बंधित अहर्ता नियमावली

1. एम०एससी०, एम०ए० भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे-
2. एम०एससी० और एम०ए० में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी०एससी०/ बी०ए० में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस०सी०/एस०टी० के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।
3. (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम०ए० के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।
4. एम०एससी० और एम०ए० (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। परन्तु एम०ए० प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों स`कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे।
5. एम०एससी० (गणित) में प्रवेश हेतु बी०सी०ए०, बी०टैक० (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी०एससी० (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. एम०ए० के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।
7. एम०ए० (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी०बी०ए०/ बी०सी०ए०/ बी०ए० (गणित) / बी०एससी० (गणित) / बी० कॉम० अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी०ए० (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
8. एम०ए० गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता

सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

9. बी०कॉम० प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी०कॉम० में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्ताकों को आधार माना जाएगा।

10. बी०ए० में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

11. शैक्षिणिक सत्र 2024-25 तक विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में मेरिट में लिखित पिषयों के दो तिहाई प्रतीशत तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्रतिशत जोड़े जाते थे। शैक्षिणिक सत्र 2025-26 से उक्त बाध्यता खत्म की जाती है अतः शैक्षिणिक सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में मेरिट हेतु इन अभ्यर्थियों के परीक्षा फल में उल्लेखित प्राप्तांक प्रतिक्षत को जोड़ा जाऐगा।

12. कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी०एड०, /व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा / पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

13. बी०एड० की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी०एड० के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

14. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०ए० (गृह विज्ञान) / बी०एससी० (गृह विज्ञान) तथा बी०एससी० (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

15. एम० कॉम० के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०कॉम० परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी०कॉम० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

16. बी०सी०ए०/ बी०टैक० (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बी०एससी० (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम०एससी० (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी०एससी० (गणित) को दी जायेगी।

17.बी०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) / बी०एससी० (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

18.एम०पी०ई०एस० (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगी।

19.ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय /महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

20.ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा /शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी०ए० प्रथम / एम०ए० प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

21.ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा।

22.ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

23.कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

24.किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण नियम

बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनके परीक्षा फार्म तद्नुसार निचली कक्षा में स्वतः परिवर्तित कर दिए जायेंगे।

1. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।
2. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
4. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय / संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

1. थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
2. प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप/फील्ड चर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में ब्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।
3. विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
4. त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS वा समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।
5. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि बह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जगा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) ग्रोडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी

लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

6. द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

7. तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी। जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा यह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8. यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और यह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

9. विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidelines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

10. क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

11. यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो यह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

विद्यार्थियों के स्थानान्तरण सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

1. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय / संस्थान से दूसरे महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय / चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य / निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण केवल उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों / संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।
2. किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
3. स्थानान्तरण केवल उन्ही छात्रों हेतु अनुमत होगा जो पूर्व के वर्ष / वर्षों में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हों।
4. उक्त स्थानान्तरण केवल प्रत्येक सत्र में 31 अगस्त तक सम्भव होगा। इसके पश्चात किसी भी स्थानान्तरण पर विचार नही किया जायेगा।
5. अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय / संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय / संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों / संस्थानों / पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों / संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन-पत्र में समस्त प्रविष्टियों को सुस्पष्ट रूप से भरें।

1. शैक्षिक अन्तराल (गैप) के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है, जो प्रवेशार्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हों-
   - हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र
   - इंटरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र
   - स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) मूल रूप में
   - अन्तिम विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में। तथा जिन प्रवेशार्थियों के अन्तिम परीक्षा व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण की है, उनके लिए किसी सेवारत राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अंतिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र (CC) .
   - आधार कार्ड की छायाप्रति
   - पासपोर्ट साइज के चार फोटों
   - यूपी बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से आने वाले प्रवेशार्थी अपने पूर्व बोर्ड द्वारा जारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा नहीं करना है यह सर्टिफिकेट छात्र द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म के साथ विश्वविद्यालय भेजा जाएगा।
   - पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राएं प्रवेश आवेदन -पत्र के साथ ही जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं नवीनतम आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) इंटरनेट वेरीफिकेशन कॉपी प्रस्तुत करें।
   - प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ एक शास्तामण्डल प्रपत्र भी संलग्न है। छात्राएँ प्रवेश के एक सप्ताह के भीतर अपना परिचय-पत्र निश्चित रूप से बनवा लें ।
   - छात्राएँ आवेदन-पत्र के साथ अपना पता लिखे दो पोस्टकार्ड आवश्यक रूप से संलग्न करें।

महाविद्यालय में दिव्यांग छात्र छात्राओं हेतु उपलब्ध सुविधाएं

1. महाविद्यालय में दिव्यांग छात्राओं की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु विशेष निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता है प्रत्येक भवन में आवागमन हेतु सुगम आवागमन हेतु राम की व्यवस्था है रैंप महाविद्यालय में छात्राओं हेतु व्हीलचेयर भी उपलब्ध है।
2. जिस कक्षा में विकलांग छात्राएं हैं उन कक्षाओं को यथासंभव नीचे के फ्लोर को क्या कहते हैं हिंदी में नीचे के तल पर लगाया जाता है भूतल पर परीक्षा समय में भी ऐसी छात्राओं हेतु भूतल पर ही परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध है ।
3. विकलांग छात्रों हेतु प्रवेश में आरक्षण की सुविधा भी राज्य सरकार के नियमानुसार महाविद्यालय में लागू है।

शुल्क विवरण - 2025-26

शुल्क दरें (वार्षिक)

कक्षा	शुल्क (रू0 में)
बी0ए0 I वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	1840
बी0ए0 I वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	2130
बी0ए0 I वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	2370
बी0ए0 II वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	1717
बी0ए0 II वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	1957
बी0ए0 II वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	2197
बी0ए0 III वर्ष (बिना प्रयोगात्मक)	1217
बी0ए0 III वर्ष (एक प्रयोगात्मक)	1457
बी0ए0 III वर्ष (दो प्रयोगात्मक)	1697
बी0 कॉम0 I वर्ष	1840
बी0 कॉम0 II वर्ष	1717
बी0 कॉम0 III वर्ष	1217
बी0 एस0 सी0 I वर्ष (मैथ ग्रुप)	2370
बी0 एस0 सी0 II वर्ष (मैथ ग्रुप)	2197
बी0 एस0 सी0 III वर्ष (मैथ ग्रुप) (एक प्रयोगात्मक)	1457
बी0 एस0 सी0 III वर्ष (मैथ ग्रुप) (दो प्रयोगात्मक)	1697
बी0 एस0 सी0 I वर्ष (बायो ग्रुप)	2610
बी0 एस0 सी0 II वर्ष (बायो ग्रुप)	2437
बी0 एस0 सी0 III वर्ष (बायो ग्रुप) (एक प्रयोगात्मक)	1457
बी0 एस0 सी0 III वर्ष (बायो ग्रुप) (दो प्रयोगात्मक)	1697
एम ए/एम एस सी/एम कॉम I वर्ष - बिना प्रयोगात्मक	1360
एम ए/एम एस सी/एम कॉम II वर्ष . बिना प्रयोगात्मक	1217
एम ए/एम एस सी/एम कॉम I वर्ष - एक प्रयोगात्मक	1650
एम ए/एम एस सी/एम कॉम II वर्ष - एक प्रयोगात्मक	1457
बी एड - I वर्ष	4250
बी एड - II वर्ष	3857
पी एच डी	1562

नोट-

- उपरोक्त शुल्क में प्रवेश पंजीकरण शुल्क रू0-**100/--** मात्र सम्मिलित है ।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शुल्क में शासनादेशानुसार छूट दी जायेगी।

- उक्त शुल्क संरचना में शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन सम्भव है। शुल्क वृद्धि होने की दशा में छात्रा को बढा शुल्क महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।
- छात्रवृत्तिएवं शुल्क प्रतिपूर्ति अर्ह छात्राओं को जिला समाज कल्याण कार्यालय से निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने पर नियमानुसार देय होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएँ जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय से कम है, को प्रवेश के समय नियमानुसार शुल्क में छूट मिलेगी।
- अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रवेश के समय शुल्क में छूट प्राप्त करने हेतु जाति**,** आय व मूल निवास प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं ऑनलाइन सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति की ऐसी छात्रायें जिन्होंने प्रवेश के समय शुल्क में नियमानुसार छूट ली है, उन्हें अपना अवशेष शुल्क विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व महाविद्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप में जमा करना होगा।

अनुशासन सम्बन्धी नियम एवं आचरण संहिता

महाविद्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, छात्राओं की समस्याओं के निराकरण एवं उन्हें महाविद्यालय मेंअनुशासित और मर्यादित आचारण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शास्ता मण्डल का गठन किया गया है जिसके द्वारा निर्मित आचार संहिता और अनुशासन सम्बन्धी नियमों का पालन करना प्रत्येक पंजीकृत छात्रा के लिए अनिवार्य है। जो छात्राएँ इन नियमों का उल्लंघन करंेगी या शास्ता मण्डल के निर्देशों का अनुपालन नहीं करेगी, शास्ता मण्डल की संस्तुति पर प्राचार्य महाविद्यालय उनके अभिभावकों को कभी भी महाविद्यालय में बुलवाकर सम्बन्धित छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं। महाविद्यालय के अनुशासन सम्बंधी नियम निम्नवत् हैं-

- महाविद्यालय की समस्त छात्राओं को निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य है।
- समस्त पंजीकृत छात्राओं को अपना परिचय-पत्र सदैव साथ रखना अनिवार्य है, जिसका निरीक्षण किसी भी समय प्राचार्य, शास्ता मण्डल अथवा महाविद्यालय प्राध्यापकों द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण के समय परिचय पत्र न पाए जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर अथवा कक्षाओं में किसी भी बाहरी व्यक्ति, अवांछनीय तत्वों, अस्त्र-शस्त्र तथा मादक पदार्थो को साथ लाना प्रतिबंधित है इस नियम का अनुपालन न करने की स्थिति में महाविद्यालय से निष्कासन अथवा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिषद् में मोबाइल का प्रयोग करना निषिद्ध होगा।
- छात्राएं कक्षाओं के संचालन, शिक्षणेत्तर समारोहों तथा परीक्षाओं के दौरान शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूर्ण सहयोग देंगी तथा बिना पूर्व सूचना व प्राचार्य अनुमति के कक्षा, समारोह तथा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं होगी।
- महाविद्यालय के सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता रख-रखाव व विकास में योगदान प्रत्येक छात्रा का नैतिक दायित्व है। इस संदर्भ में महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना, फूल-पत्ती तोड़ना, गंदगी फैलाना, दीवार या ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक लिखना तथा वाहनों को निर्धारित स्थान के अतिरिक्त इधर-उधर खड़ा करना या इन सभी कार्यो के लिए दूसरों को उकसाना दण्डनीय है।

महाविद्यालय गणवेश (College Unifrom)

छात्राओं में सादगी, समरूपता और शालीन आचरण के उद्देश्य से महाविद्यालय में कक्षावार निर्धारित गणवेश निम्न प्रकार है-

- स्नातक स्तर पर बी0 ए0 बी0 कॉम0, बी0 एस-सी0 सफेद सलवार-कुर्ता व V गले की काली जैकेट
- एम0 ए0, एम0 एस-सी0, एम0 कॉम0 की छात्राओं हेतु यूनीफार्म में V गले की काली जैकेट के साथ सफेद, सलवार सूट निर्धारित है।
- बी0 एड0 की समस्त छात्राओं के लिए सफेद रंग का कुर्ता-सलवार व मैरून रंग की V गले की जैकेट निर्धारित है।
- शीतकाल में समस्त छात्राओं के लिये सादा काला स्वेटर/कार्डिगन/कोट/जैकेट एवं काला स्टॉल/शाल व काले जूते पहनना अनिवार्य है।
- नोट-विवाहित छात्राएँ सफेद कुर्ते के स्थान पर मैरून रंग का सलवार कुर्ता या साड़ी पहन सकती है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय का अपना एक स्वयंसंचालित समृद्ध पुस्तकालय है जिसमें महाविद्यालय में संचालित विभिन्न विषयों के अतिरिक्त सामान्य विषयों पर बड़ी संख्या में उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध है। इसके साथ ही विविध विषयों पर जर्नल्स भी उपलब्ध है। रिक्त वादनों में छात्राओं हेतु विभिन्न पत्र-पत्रिकाएँ एवं दैनिक समाचार पत्र आदि पढ़ने की समुचित व्यवस्था विद्यमान है। छात्राओं द्वारा पुस्तकालय प्रयोग करते समय अवांछनीय गतिविधियाँ दण्डनीय होगी। छात्राओं द्वारा पुस्तकालय से निर्गत पुस्तको पर लिखना, उन्हें गन्दा करना, फाडना, समय से वापिस न करने अथवा खोने आदि पर दण्डात्मक कार्यवाही अथवा भरपाई शुल्क लिया जाएगा।

पाठ्यक्रम सहभागी/सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

- **राष्ट्रीय सेवा योजना-** राष्ट्रसेवा की भावना का विकास करने हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 100-100 स्वयं सेविकाओं की दो ईकाईयाँ दो कार्यक्रम अधिकारियों के निर्देशन में कार्यरत हैं जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वयं सेविका के लिये 120 घण्टे का सेवा कार्य करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सात दिवसीय विशेष शिविर व चार दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाता है।
- **एन0 सी0 सी0-** जुलाई -2014 से प्रारम्भ छात्राओं में राष्ट्रीय एकता और अनुशासन के उद्देश्य से 55 कैडेट्स की एक यूनिट एन0 सी0 सी0 की संचालित है, जिसमें केवल प्रथमवर्ष की छात्राएं ही भाग ले सकती हैं। प्रवेश पहले आओ पहले पाओं तथा शारीरिक सक्षमता के आधार पर उन्ही छात्राओं को दिया जायेगा जो वार्षिक परेड में सम्मिलित हो सकती हैं।
- **रेंजर्स-** राष्ट्रसेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना एवं स्वावलम्बन की भावना का समुचित विकास करने के लिए महाविद्यालय में रेंजर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रेंजर्स की एक इकाई कार्यरत है।
- **क्रीड़ा परिषद्-** स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये क्रीड़ा परिषद् की देखरेख में इन्डोर एवं आउटडोर खेंलो एवं जिम की समुचित व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।
- **इकोरेस्टोरेशन क्लब -** छात्राओं में पर्यावरण जगरूकता एवं परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में इकोरेस्टोरेशन क्लब की स्थापना की गई है।
- **रेमेडियल पाठ्यक्रम (निर्बल वर्ग सहायता)-** इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग एवं कम प्रतिभा वाली छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- **कैरियर काउंसलिंग एव रोजगार प्रकोष्ठ-** प्रतिस्पर्धा के इस युग में कैरियर के प्रति जागरूक रहने के लिए यह प्रकोष्ठ छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी नवीनतमसूचनाएँ देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु सार्थक प्रयास करता है।
- **साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद्-** छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा में विकास हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् प्रत्यके वर्ष युवा सप्ताह का आयोजन करती है।

- **प्रसार व्याख्यान माला समिति-** विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श एवं गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से उक्त समिति द्वारा प्रसार व्याख्यान माला का आयोजन कराया जाता है।
- **महिला सहायता प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ -** शासन के निर्देशानुसार स्थापित उक्त प्रकोष्ठ के माध्यम से महिलाओं विशेषकर छात्राओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
- **विभागीय परिषद -** महाविद्यालय में छात्राओं के बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है। जो विभाग प्रभारी के निर्देशन में वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध, पोस्टर, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।
- **महाविद्यालय पत्रिका-** छात्राओं की सृजनात्मक लेखनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय पत्रिका जागृति प्रकाशित होती है।
- **पुरातन छात्रा परिषद्-** उक्त परिषद् महाविद्यालय की पुरातन छात्राओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है तथा महाविद्यालय विकास में उनकी सहभागिता की अपेक्षा करती है।
- **छात्र अभिभावक संघ-** उक्त संघ के माध्यम से अभिभावकों को अपने पाल्य एवं महाविद्यालय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है।
- **एंटी रैगिंग कमेटी -** महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्णतया नियन्त्रण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समिति सक्रिय है।
- **आई. क्यू. ए. सी.-** महाविद्यालय में गुणवŸाा सुधार प्रक्रिया को सतत रूप से चलाये रखने के उद्देश्य से आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
- **छात्र कल्याण परिषद्-** उक्त परिषद् द्वारा निर्धन छात्राओं को आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जाता है।

महाविद्यालय परिवार

प्रो0 (डॉ0) अंजू सिंह - प्राचार्य

प्राध्यापक (कला संकाय)		प्राध्यापक (विज्ञान संकाय)	
हिन्दी विभाग		**जन्तु विज्ञान विज्ञान विभाग**	
1. डॉ0 सुधा रानी सिंह	प्रोफेसर	1. डॉ0 सत्यपाल सिंह राणा	प्रोफेसर
2. डॉ0 स्वर्णलता कदम	प्रोफेसर	2. डॉ0 कुमकुम	एसोसिएट प्रोफेसर
3. डॉ0 नीता सक्सेना	असिस्टेंट प्रोफेसर	3. डॉ0 गजेन्द्र सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
अंग्रेजी विभाग		**गणित विभाग**	
1. डॉ0 मोनिका चौधरी	प्रोफेसर	1. डॉ0 अमित कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ0 ऊषा साहनी	प्रोफेसर	2. डॉ0 सोशल	असिस्टेंट प्रोफेसर
3 डॉ0 रूबी	असिस्टेंट प्रोफेसर	3. डॉ0 शरद पवॉर	असिस्टेंट प्रोफेसर
राजनीतिशास्त्र विभाग		**भौतिक विज्ञान विभाग**	
1. डॉ0 अनुजा गर्ग	प्रोफेसर	1. डॉ0 ज्योति चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 रामचन्द्र सिंह	प्रोफेसर	2. श्री राजीव कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्रीमती निरुपमा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	3. डॉ0 डेजी वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर
अर्थशास्त्र विभाग		**रसायन विज्ञान विभाग**	
1. डॉ0 भारती दीक्षित	प्रोफेसर	1. श्रीमती अलका चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 मंजू रानी	प्रोफेसर	2. डॉ0 सुरेश पटेल	असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग		**वनस्पति विज्ञान विभाग**	
1. डॉ0 लता कुमार	प्रोफेसर	1. डॉ0 वैभव शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
2. डॉ0 गीता चौधरी	प्रोफेसर	2. डॉ0 अरविन्द कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. श्रीमती मनीषा भूषण	असिस्टेंट प्रोफेसर		
गृहविज्ञान विभाग		**प्राध्यापक वर्ग (वाणिज्य संकाय)**	
1. डॉ0 गौरी	असिस्टेंट प्रोफेसर	1. डॉ0 आवेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
संगीत गायन विभाग		2. डॉ0 नेहा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
1. डॉ. राधारानी	असिस्टेंट प्रोफेसर	3. डॉ0 आकांक्षा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ. शालिनी वर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	**प्राध्यापक वर्ग (बी0 एड0 संकाय)**	
इतिहास विभाग		1. डॉ0 भावना सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
1. डॉ0 अजय कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	2. श्रीमती शालिनी सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
शारीरिक शिक्षा विभाग		3. डॉ0 पारूल मलिक	असिस्टेंट प्रोफेसर
1. डॉ0 भारती शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	4. डॉ0 मंजू रानी	असिस्टेंट प्रोफेसर
2. डॉ0 पूनम भण्डारी	असिस्टेंट प्रोफेसर	5. डॉ0 आशीष पाठक	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. डॉ0 नितिन चौधरी	एसोसिएट प्रोफेसर	6. डॉ0 दीपा गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर
चित्रकला विभाग		7. डॉ0 रतन सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
शिक्षणेत्तर कर्मचारी		8. डॉ0 ऋचा राणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
1. श्रीमती आयशा सैफी -	वरिष्ठ सहायक	9. डॉ0 ज्ञानेन्द्र सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर
2 श्री मनोज कुमार	कनिष्ठ सहायक		

For any Query Contact – Dr SPS Rana, Dr Gauri (Prospectus Committee)